फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बाली

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
पुष्प कंवर पत्नि नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी मोखमपुरा तहसील बाली वगैरा		कन्या पुत्री देवाराम जाति राईका निवासी मोखमपुरा तहसील बाली वगैरा

राजस्व विविध GCMS NO 2023/52

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 सपठित नियम 68 राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) संशोधन नियम, 2012 (बाबत् सिंचाई प्रयोजनार्थ भूमिगत पाईप लाईन बिछाने)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
24-02-23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया पुष्प कंवर मय अधिवक्ता श्री अमजद अल उप.। प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर प्रार्थिया व अन्य रेकर्डेड सहखातेदारान अप्रार्थीगण के संयुक्त सहखातेदारी में धारित भूमि ग्राम मोखमपुरा के खसरा नंबर 364 लगाये 370 व 372 कुल रकबा 12.89 हैक्टर में निहित प्रार्थिया के हिस्से की भूमि को सिंचित करने के लिये प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में मार्क W कुआं से मार्क A,B,C,D,E दर्शित ट्रेक से सिंचाई हेतु भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नजी नक्शा, जमाबंदी की प्रति नक्शा ट्रेस की प्रति पेश किये गये। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। उपस्थित वकील प्रार्थी की दलीलों को सुना गया। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि ग्राम मोखमपुरा के खसरा नंबर 364 लगाये 370 व 372 की भूमि प्रार्थिया व अप्रार्थीगण के संयुक्त सहखातेदारी की भूमि है। सहखातेदारी भूमि में विधि के प्रावधानों अनुसार प्रत्येक सहखातेदार को संयुक्त हक अधिकार होने से उस भूमि का उपयोग/उपभोग करने को किसी पक्षकार को आपत्ति नहीं हो सकती है। यदि किसी सहखातेदार द्वारा दूसरे किसी सहखातेदार को भूमि के उपयोग/उपभोग करने में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न किये जाने की चेष्टा की जाती है तो पीडित सहखातेदार धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन की डिक्री प्राप्त कर चाहा गया अनुतोष प्राप्त कर सकता है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहखातेदारी भूमि के संबंध में भूमिगत पाईपलाईन बिछाने हेतु उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायोचित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी, बाली,जिला बाली (राज.)	

Scanned with CamScanner